

प्रेषक,

प्रौमिला शर्मा,
सचिव,
उ०प्र० सेशन ।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ ।

पशुपालन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2000

विषय:- पशुपालन विभाग में लागू वर्तमान सेवा शुल्को एवं लेवी मूल्यों का पुनर्निर्धारण
महोदय,

उपरोक्त विषयक सेशन आदेश संख्या 1850/12-प-2-99-30868/97, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत में इसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पशुपालन विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आच्छादन प्रतिशत में विस्तार तथा सेवाओं को वास्तविक व्यय के आधार पर पुनः प्राप्त इकाई रिक्वरी में सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ली जाने वाली पशु/लेवी की दर को यू०पी०डी०ए० एस०पी० में प्रस्ताविक स्तरों के तहत संलग्न विवरण के अनुसार 1 अप्रैल 2000 से पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त शुल्क से होने वाली प्राप्तियाँ राज्य के सुसंगत लेखा जीर्णों के अन्तर्गत जमा की जायेगी ।

3- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीया,

ह०:-

प्रौमिला शर्मा
सचिव ।

संख्या-3519/12-प-2- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आसक्त पशुपालन कृषि भवन, नई दिल्ली ।
- 2- महालेखा कार, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
- 3- महाप्रबन्धक, समन्वय, पी०सी०डी०ए० लखनऊ ।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
- 5- समस्त उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र० ।

- 6- अतिरिक्त सचिव, टेक्नोलॉजी मिशन, भारत सरकार एनडोओपीओ आनन्द, भारत सरकार ।
- 7- सचिव, दुग्ध विकास, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 8- संयुक्त सचिव, प्रशासन प्रौद्योगिक मिशन केरी विभाग कृषि विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
- 9- वित्त संचय निगम, अनुभाग-2
- 10- वित्त संचय सामान्य अनुभाग को उनके पत्र दिनांक 27 दिसम्बर 1999 के संदर्भ में पाँच अतिरिक्त प्रतियों में ।

आज्ञा से,

ह0:-

राम कुमार प्रसाद
उप सचिव ।

कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

संख्या 4122/सा0-1/X-84555/99-2000

दिनांक 24-3-2000

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- सम्स्त उप निदेशक, पशुपालन विभाग, मंडल, उ०प्र० ।
- 2- सम्स्त उप निदेशक, सघन पशु विकास प्रायोजना, उ०प्र० ।
- 3- सम्स्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र० ।
- 4- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल गोपेश्वर, चमोजी ।
- 5- अपर निदेशक, वी०पी० संस्थान, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 6- उप निदेशक, लघु पशु मुख्यालय ।
- 7- अपर निदेशक, गोधन मुख्यालय ।
- 8- संयुक्त निदेशक, कुक्कुट मुख्यालय ।
- 9- परियोजना: समन्वयक यू०पी० वी०एस०पी०, प्रधान कार्यालय ।

हरदेव सिंह
निदेशक ।

पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।

सं० - 351/12-प-2-99-30131/99, दिनांक 19 जनवरी 2000 का संलग्नक
विभाग, में लागू वर्तमान सेवा शुल्को एवं लेवी मूल्यों में एक अंग्रेज, 2000 से वृद्धि

शेड्यूल सेवा का विवरण

वर्तमान शुल्क से अंग्रेज, 2000 से प्रस्तावित दरें रु० में

1-	अतिहिमी कृत त्रोर्य प्रति स्ट्रा	8.00	8.00
2-	तरल नमन प्रति लीटर	8.00	8.00
3-	<u>कृत्रिम गर्भाधान शुल्क</u>		
	अ- मुख्यालय पर	10.00	20.00
	ब- पशु स्वाभी के द्वार पर	20.00	40.00
4-	<u>प्राकृतिक गर्भाधान शुल्क</u>		
	अ- गाय/भैस	30.00	30.00
	ब- घोड़ा/गधा	55.00	55.00
	स- चारवा सांड	2.00	2.00
	द- सूकर सांड	1.00	1.00
5-	<u>बधिषाकरण शुल्क</u>		
	अ- मुख्यालय पर		
	क- बड़े पशु	2.50	10.00
	ख- छोटे पशु	1.50	5.00
	ब- पशु स्वाभी के द्वार पर		
	क- बड़े पशु	2.50	15.00
	ख- छोटे पशु	1.50	7.00
6-	<u>चिकित्सा शुल्क</u>		
	अ- बड़े पशु	1.00	10.00
	ब- भैस/बकरी/सूकर	0.50	5.00
	स- कुत्ता/बिड़ली	2.00	40.00
	<u>टी गकरण शुल्क</u>		
	अ- एचएसओ/बोव्यू	1.00	2.00
	ब- आरएमओ	1.25	-
	स- आरओओ	0.25	0.50
	द- फाउंड पाक्स	0.10	0.50
	प- स्वाइन पीवर	0.25	2.00
	र- इन्टेरोटाक्सोमिया	0.20	2.00
	त- शीप पाक्स	0.25	2.00
	ब- एफएसओ/बोव्यू	1.00	2.00

8- जन विच्छेदन शुल्क

- अ- बड़े पशुनाक सा घोडा आदि
 ब- छोटे पशु भेड़ बकरो सूकर आदि
 स- कुकुर

30.00 30.00
 6.00 6.00
 2.50 2.50

9- स्वास्थ्य परीक्षा

- अ- छोटे पशु
 ब- छोटे पशु

15.00 15.00
 5.00 5.00

10- पशु आहार विश्लेषण

11- रोग निदान सेवाएँ

- अ- रक्त की जाँच
 ब- गोबर की जाँच
 स- मूत्र की जाँच

3.00 3.00
 2.50 2.50
 2.50 2.50

हो:-

॥ राम कुमार प्रसाद ॥
 उप सचिव ।